एफ. सं. ए-11012/22/2009- एनएमपीबी(प्रशा.) (ई-164493)

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)

प्रथम एवं द्वितीय तल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस)

एनेक्सी बिल्डिंग, रेड क्रॉस रोड

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 सितंबर, 2025

परिपत्र

विषय: एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय में विपणन सहायक के नियमित पद के संशोधित भर्ती नियमों (आरआर) के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय में विपणन सहायक के नियमित/स्वीकृत पद के लिए अनिवार्य योग्यता और अनुभव तथा वांछनीय योग्यता(एं) (अन्य शर्तें समान रहेंगी) के संबंध में विधिवत अनुमोदित परिशोधित भर्ती नियम (आर.आर.) द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में संलग्न करने और बहुमूल्य टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्राप्त करने का निर्देश हुआ है। टिप्पणियाँ इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर ई-मेल आईडी fao-nmpb@nic.in पर प्रेषित की जा सकती हैं।

2. यह सक्षम प्राधिकारी, एनएमपीबी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: उपर्युक्तानुसार

(पीयूष कुमार)

वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी

सेवामें,

सभी हितधारक

प्रतिलिपि:

1. एनएमपीबी के आईटी डेस्क को एनएमपीबी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
2. आयुष मंत्रालय के एनआईसी डेस्क - कृपया इसे आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि: सीईओ/उप सीईओ, एनएमपीबी का कार्यालय

विपणन सहायक के पद के लिए भर्ती नियम (वर्ष 2025 में प्रस्तावित संशोधन)
मंत्रालय: **आयुष मंत्रालय**
संगठन: राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है	सीधि भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा, अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा है और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	यदि कोई डीपीसी विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
विपणन सहायक	1*	सामान्य केंद्रीय सेवा (जीसीएस) ग्रुप बी अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400-112400) ।	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य** (योग्यता और अनुभव): (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री। (2) किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन से वित्त/विपणन/बिक्री में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** वित्त / विपणन और बिक्री में एमबीए।	लागू नहीं	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा,	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी): केंद्र अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त अथवा वैधानिक संगठनों के अधीन अधिकारी: (क)(I) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो ; अथवा (II) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा; और (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले	पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए ग्रुप बी विभागीय पुष्टिकरण समिति (जिसमें शामिल हैं) 1. संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय – अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबीएच) – सदस्य 3. निदेशक (तकनीकी)-सह-उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उप निदेशक (औषधीय संयंत्र) - सदस्य	यूपीएससी से परामर्श आवश्यक नहीं है।

						नोट 1: अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, एस.एस.सी./सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से योग्यता में छूट दी जा सकती है। नोट 2: अनुभव के संबंध में योग्यता(एं) एसएससी/ सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती है/हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, यदि चयन के किसी भी स्तर पर एस.एस.सी./सक्षम प्राधिकारी की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				नोट: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध - आईएसटीसी सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारण किसी अन्य एक्स-केडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (आईएसटीसी) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
कॉलम 6 के अंतर्गत: नोट-1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है।												
नोट-2: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप संभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।												